तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **प्रसन्नचंद ओस्तवाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार भोपालगढ)** सू.अ.अ. अपील संख्या 314/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-11-2022		

अपीलार्थी प्रसन्नचन्द ओस्तवाल, पता– 43Strotten Muthia Mudali Street, Sowcarpet Chennai-600079 ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.05.2022 में (1) नायब तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 2119/78 राजस्थान राज्य बनाम श्री जैनरत्न सेकण्डरी स्कूल, भोपालगढ निर्णय दिनांक 31.12.1978 किया गया जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक स्टे ऑर्डर दिनांक 06.04.1973 जारी किया गया व तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण सं0 516/1983 राज. राज्य बनाम श्री जैनरत्न सेकण्डरी स्कूल भोपालगढ व व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 186 दिनांक 09.06.2022 के सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 311 दिनांक 22.09.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.04.1973 की प्रति चाही गई जो कि इस कार्यालय से देय नहीं है। प्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में दर्ज प्रकरण सं0, अनवान इत्यादि विशिष्टियां का स्पष्ट अंकन नहीं होने से पत्र राजस्व मण्डल अजमेर को स्थानान्तरित भी नहीं किया जा सकता। नायब तहसील बिलाड़ा का प्रकरण सं0 2119/78 सरकार बनाम श्री जैनरत्न सेकण्डरी स्कूल निर्णय दिनांक 31.12.1978 का उल्लेख किया गया। यह प्रकरण 91, राज. भूराजस्व अधिनियम का हो सकता है तथा भोपालगढ तहसील का सजृन होने के पश्चात् बिलाड़ा तहसील से उक्त प्रकरण स्थानान्तरित करना नहीं पाया गया। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि किसी राजस्व न्यायालय में दर्ज प्रकरण की प्रतिलिपि रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूल के तहत प्रार्थीना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है।

अपीलार्थी ने अपील में कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी ने विलम्ब से प्रार्थी को सूचित किया गया तथा चाही गई सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित हो वहां प्रार्थना पत्र वहां स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

हम लोक सूचना अधिकारी की इस रिपोर्ट से सहमत है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.04.1973 के प्रकरण की विशिष्टियां अंकित नहीं होने से प्रार्थना पत्र विधिक प्रकिया के तहत स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है, परन्तु नायब तहसील बिलाड़ा का प्रकरण

लगातार

सं0 2119 / 78 सरकार बनाम श्री जैनरत्न सेकण्डरी स्कूल निर्णय दिनांक 31.12. 1978 व बिन्दु सं0 2 व 3 से संबंधित प्रकरणों की विशिष्टियां अंकन होने के बावजूद संबंधित कार्यालयों में प्रार्थना पत्र को नियत अवधि में स्थानान्तरित नहीं किया गया, जो विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना नायब तहसील बिलाड़ा का प्रकरण सं0 2119 / 78 सरकार बनाम श्री जैनरत्न सेकण्डरी स्कूल निर्णय दिनांक 31.12.1978 व बिन्दु सं0 2 व 3 से वर्णित प्रकरणों की सूचना संबंधित कार्यालयो से मंगवाकर 15 दिवस में उपलब्ध करावे अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।